न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट चौमू (जयपुर)

मु.न. 01/2014

उनवान

1. रूपनारायण पुत्र महादेव प्रसाद यादव, उम्र 44 वर्ष
2. सुरेन्द्र कुमार पुत्र मुरलीधर यादव, उम्र 65 वर्ष
   समस्त जाति अहीर, नि0 ग्राम महारखुर्द, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. गुल्ली देवी पत्नी धन्नालाल
2. रूडी देवी पुत्री धन्नालाल
3. धापा देवी पुत्री धन्नालाल
4. नाना देवी पुत्री धन्नालाल
5. नारंगी देवी पुत्री धन्नालाल
6. मीनादेवी पुत्री धन्नालाल
7. सुमन देवी पुत्री धन्नालाल
8. नन्दू देवी पत्नि रामलाल
   समस्त जाति माली, नि0 सामोद रोड, गीदाली कोठी, नीमडी, कस्बा चौमूं, तह0 चौमूं,जिला जयपुर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तह0 चौमूं, जिला जयपुर।
10. उप–पंजियक उपपंजियन कार्यालय चौमूं, जिला जयपुर।
11. कालूराम सैनी पुत्र गोपीराम सैनी, जाति माली, नि0 मोठू का बास, ग्राम पंचायत नांगल पुरोहित, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 18.07.2018

पत्रावली पेश हुई। व.फ. उपस्थित है। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रा.पत्र. अन्तर्गत 212 राजस्थान टिनेसी एक्ट का पेश किया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण की और से उल्लेख किया गया है कि वाके चौमूं, तहसील चौमूं जिला जयपुर में भूमि स्थित है जिसके आराजी खसरा नम्बर 3099/5 के कुल किता 1 का कुल रकबा 0.16 हैक्टेयर है यही भूमि प्रार्थना पत्र में विवादग्रस्त आराजीयात है जिसे की प्रार्थना पत्र के अग्रीम मदों में विवादग्रसत आराजीयात् के नाम से सम्बोधित किया जा रहा है।

प्रार्थना पत्र में वर्णित विवादित आराजीयात् खाता संख्या 132 प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 8 की संयुक्त कब्जेकाश्त की खातेदारी भूमि है उक्त भूमि का आज दिन तक भी विधिवत रूप से किसी भी सक्षम अधिकारी एवं न्यायालय द्वारा तकास्मा नहीं किया गया है उक्त विवादित आराजीयात् खाता संख्या 132 में प्रार्थीगण का संयुक्त रूप से हिस्सा 202/1600 भाग निहित है, तथा शेष भूमि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 8 के कब्जे काश्त एवं मालिकाना अधिकारों की है अर्थात् विवादित आराजीयात् प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 8 की संयुक्त कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि है जिसका की आज दिन तक भी बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स तकासमा नहीं हुआ है तथा सभी खातेदार

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं, जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

शामलाती रूप से विवादित आराजीयात पर काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग कर राज्य सरकार को लगान अदा करते चले आ रहे है।

प्रार्थीगण ने विवादित आराजीयात् के अन्य सहखातेदारों अर्थात् अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 8 से विवादित आराजीयात् का बाई मीट्स एण्ड बाउन्डस् विधिवत् रूप से तकासमा किये जाने बाबत् अनुरोध किया गया जिस पर अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 8 द्वारा प्रार्थीगण को शीघ्र तकासमा करवाने का आश्वासन देकर टालमटोल किया जाता रहा तथा प्रार्थीगण ने अनेक मर्तबा तलब व तकाजा करने पर भी आज दिवस तक भी विवादित आराजीयात् का विधिवत् तकासमा नहीं करवाया गया।

प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 31.12.2013 को अंप्रार्थीगण संख्या 1 ता 8 से सम्पर्क कर विवादित आराजीयात् का बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर विवादित आराजीयात् का विधिवत् तकासमा किये जाने बाबत् निवेदन करने पर अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 8 उग्र हो गये तथा प्रार्थीगण को विवादित आराजीयात् का विधिवत् तकासमा करने से साफ इन्कार कर दिया तथा विवादित आराजीयात् जो वर्तमान में शामलाती कब्जे काश्त की भूमि है में बिना विधिवत तकासमा करवाये ही कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ अर्थात् आवासीय भूखण्डों में विभक्त करने, पुख्ता निर्माण कार्य करनें, रोड वगै0 डालने, भूखण्डों का बेचान हस्तानान्तरण करने की धमकी दी गई। जिस कारण प्रार्थीगण को उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 10 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा इस कदर पाबन्द किया जावे कि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 8 विवादित आराजीयात् को बिना विधिवत् तकासमा करवायें किसी विशिष्ट भू–भाग को अन्य दीगर व्यक्ति, संस्था को हस्तान्तरित नहीं करें, ना हीं प्रार्थीगण को विवादित आराजीयात् में निहित प्रार्थीगण के शामलाती कब्जे काश्त एवं हिस्से की भूमि के शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग से ही वंचित करें, ना ही विवादग्रस्त आराजीयात् को कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरित करें, ना हीं प्लॉटिंग करें, न ही रोड वगै0 डालें, ना ही निर्माण सामग्री डलवायें, ना ही कोई खाम या पुख्ता निर्माण कार्य करे, ना ही प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार का कोई व्यवधान ही कारित करें तथा अप्रार्थीगण संख्या 9 विवादित आराजीयात् बाबत् किसी प्रकार का कोई राजस्व रिकोर्ड में परिवर्तन परिवर्धन नहीं करें तथा अप्रार्थीगण संख्या 10 विवादित आराजीयात् बाबत् किसी विक्रय पत्र एवं लेख पत्र के अपने समक्ष प्रस्तत होन पर उसे त़स्दीक नहीं करें अर्थात् उपरोक्त समस्त कृत्य अप्रार्थीगण ना तो स्वयं करें ना हीं अपने किसी एजेन्ट सर्वेन्ट या वर्कमेन के जरिये करवायें अर्थात् अप्रार्थीगण विवादित आराजीयात् की मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति यथावत बनाये रखें।

अप्रार्थी/प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 ने जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया है कि मद में वर्णित आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 3099/5 रकबा 0.16 हैक्टेयर वाके ग्राम चौमूं पटवार चौमूं तहसील चौमूं जिला जयपुर में स्थित है, परन्तु उक्त भूमि कतई विवादग्रस्त नहीं है।

प्रार्थीगण/वादीगण ने उक्त भूमि में कतई कोई काश्त नही की है। वादीगण ने उक्त भूमि में जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के पुख्ता निर्मित दुकान व आवासीय भूखण्ड की खरीद की है। पंजीकृत विक्रय पत्र की प्रतिलिपि संलग्न जवाब दावे के मय नक्शा पेश की जा रही है। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा राज्य सरकार को लगान अदा करने की बात कतई स्वीकार नहीं है।

प्रार्थीगण अपने हिस्से पर पुख्ता चारदीवारी निर्माणात करने के उपरान्त काबिज काश्त है। प्रार्थीगण/वादीगण ने उक्त भूमि को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से खरीद किया है। तथा पंजीकृत विक्रय पत्र नक्शें में प्रार्थीगण/वादीगण के हिस्से की भूमि को

जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

पृथक से मय निर्माण विक्रय किया गया है। वादीगण अपने निर्माण व भूमि पर पुख्ता निर्माणात करके काबिज है। मिन अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के हिस्से में कतई कोई दखलन्दाजी नहीं की है। और ना ही वादीगण को किसी प्रकार से हैरान व परेशान ही किया है। मिन अप्रार्थीगण, पंजीकृत विक्रयपत्र के संलग्न विकित की गई भूमि के नक्शे व नाप अनुसार प्रार्थीगण की खरीदशुदा निर्माणशुदा भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा स्वीकार करते है। तथा इसी अनुसार तकासमा चाहते है।

राजस्व अभिलेख में उक्त भूमि अविभाजित सामिलखातेदारी से ही दर्ज है। परन्तु प्रार्थीगण व मिन अप्रार्थी/प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर पृथक पृथक उपयोग उपभोग कर रहे है। विधिवत तकासमा किया जाना न्यायोचित है। मिन अप्रार्थी/प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थीगण को वर्णित दिनांक को या अन्यथा किसी भी अन्य दिवस को कोई धमकी नहीं दी गई है। मिन अप्रार्थी/प्रतिवादीगण तकासमा चाहते है। अप्रार्थीगण के मन में उक्त वर्णित दिनांक को या अन्यथा किसी अन्य समय कोई बदनियती नहीं रही है। वर्णित समस्त तथ्य पूर्णतया कपोल कल्पित है। चूंकि अब वाद बाबत तकासमा को पेश कर ही दिया गया है तो मिन अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 को विधिवत तकासमा कर दिये जाने बाबत कोई ऐतराज आपत्ति नही है। मिन अप्रार्थीगण स्वयं भी अपनी खातेदारी हिस्से का पर्चा लगान प्रार्थीगण से पृथक कायम करवाना चाहते है। प्रार्थी/वादीगण का हिस्सा पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांकित 09.09.2009 के वर्णितानुसार पृथक कर दिये जाने बाबत मिन प्रतिवादीगण सहमत है। वादीगण का पर्चा लगान पृथक किया जाना आवश्यक है। ताकि कोई विवाद बिन्दू ना रहें। प्रार्थी/ वादीगण का पर्चा लगान पृथक कायम किये जाने के आदेश फरमाया जाना न्यायोचित है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या सात पूर्णतया अस्वीकार है। वादीगण ने उक्त वादग्रस्त भूमि में विशिष्ट भू भाग की खरीद जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 09.09.2009 के माध्यम से की है। वादीगण उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र के संलग्न नक्शें में वर्णितानुसार भूमि का विशिष्ट भू भाग प्राप्त करने के अधिकारी है।

मिन अप्राथी/प्रतिवादीगण को प्रार्थीगण के खरीदशुदा हिस्से विशिष्ट भू भाग निर्माणशुदा भू भाग से कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है। प्रार्थीगण अपने पंजीकृत विक्रय पत्र अनुसार अपने हिस्से के विशिष्ट भू भाग का पर्चा लगान खातेदारी पृथक करवाने के अधिकारी है। और इस प्रकार प्रार्थी/वादीगण का पर्चा खातेदारी पृथक किया जाना आवश्यक है। वादग्रस्त का शीघ्रातिशीघ्र विधिवत तकासमा कर दिया जावें ताकि बार बार वाद व टी0आई0 प्रार्थनापत्र पेश करने तथा मिन अप्रार्थी/प्रतिवादीगण को हैरान परेशान करने का झन्झट ही खत्म हो जाये। प्रार्थीगण को किसी भी प्रकार की कोई क्षति होने की सम्भावना नहीं है। प्रार्थीगण निर्बाध अपने हिस्से के विशिष्ट भू भाग निर्माण का उपयोग उपभोग कर रहे है। मिन अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की कोई बाधा व्यवधान कारित नहीं किया है। मिन अप्रार्थीगण, प्रार्थी के खरीदशुदा विशिष्ट भू भाग का पर्चा पृथक कायम करवाना चाहते है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र कै पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा जिस प्रकार से उक्त प्रार्थना पत्र में मलिनमन से तथ्य छिपाकर अस्वच्छ हाथों से वर्णित अनुतोष चाहा है वो प्रार्थीगण प्राप्त करने के कानूनन अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण ने उक्त विवादग्रस्त आराजीयात खसरा नम्बर 3099/5 रकबा 0.16 हैक्टेयर में जरिये पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांकित 09.09.2009 के माध्यम से अप्रार्थीया संख्या एक गुल्ली देवी से पंजीकृत विक्रयपत्र में नक्शे में दिशा व नाप दर्शाते हुये विशिष्ट भू भाग व पुख्ता निर्माण की खरीद की है एवं प्रार्थीगण इसी प्रकार से विवादग्रस्त भूमि में अपने खरीदशुदा विशिष्ट भू भाग के हिस्से को प्राप्त करने के ही कानूनन अधिकारी है। प्रार्थी/वादीगण का पंजीकृत विक्रयपत्र व नक्शे में दर्शाये अनुसार विशिष्ट भूभाग की खातेदारी पृथक किये जाने बाबत मिन अप्रार्थी/प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नहीं है। मिन अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

उपरोक्तानुसार विधिवत तकासमा किये जाने हेतु तत्पर है। तथा इस आशय की इस्तदुआ करते है।

अप्रार्थी संख्या 11 ने जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों में यह स्वीकार है कि खसरा नम्बर 3099/5 रकबा 0.16 है0 भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 की कब्जे खातेदारी की संयुक्त भूमि थी। परन्तु वास्तविकता यह है कि अप्रार्थी संख्या 11 ने अप्रार्थी अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 7 से उनके कब्जे खातेदारी की भूमि उक्त खसरा नम्बर 3099/5 रकबा 0.16 है0 वाके चौमूं तहसील चौमूं जिला जयपुर में से उनके 6/7 हिस्से को विधिवत रूप से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांकित 26.12.2013 को प्रतिफल राशि के एवज में क्रय कर लिया था जिसका पंजीयन उप–पंजीयक कार्यालय चौमूं जिला जयपुर के यहॉ पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 502 में पृष्ठ संख्या 169 के क्रम खाता संख्या 2013013369 पर दिनांक 26.12.2013 को पंजीबद्ध किया गया था जिसकी अतिरिक्त प्रति पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1790 के पृष्ठ संख्या 149 से 157 पर चस्पा की गई थी। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 11 उक्त 6/7 हिस्से का मालिक, स्वामी एवं खातेदारी काश्तकार हो गया है। प्रार्थीगण ने उक्त वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष केवल मात्र अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 एवं राज्य सरकार को पक्षकार बनाते हुए तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद एवं उक्त प्रार्थना पत्र दायर कर दिया था। इस तथ्य की जानकारी होने पर अप्रार्थी संख्या 11 द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष आदेश 1 नियम 10 जाब्ता दीवानी का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या 11 को पक्षकार अप्रार्थी बनाया जाकर संशोधित प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यह सही है कि उक्त भूमि का अभी तक बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा नहीं हुआ है। प्रार्थीगण ही नहीं बल्कि मिन उत्तरदाता अप्रार्थी संख्या 11 भी उक्त सम्पत्ति का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा करवाना चाहता है। हालांकि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य मनबंट आधार पर बंटवारा हो गया था एवं इसी मनबंट के आधार पर ही अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 7 द्वारा अपने हिस्से में आई 6/7 हिस्से की सम्पत्ति का बेचान मिन उत्तरदाता अप्रार्थी संख्या 11 को किया गया है एवं मौके पर अपने मनबंट के आधार पर उक्त क्रयशुदा सम्पत्ति पर कब्जा भी सुपुर्द कर दिया गया था। तब से ही मिन उत्तरदाता अप्रार्थी संख्या 11 को किया गया है एवं मौके पर अपने मनबंट के आधार पर उक्त क्रयशुदा सम्पत्ति पर कब्जा भी सुपुर्द कर दिया गया था। तब से ही मिन उत्तरदाता अप्रार्थी संख्या 11 द्वारा अपने क्रयशुदा भूमि पर क्रय की दिनांक से ही काबिज हो भूमि का उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है।

अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 7 के द्वारा अपने हक हिस्से की भूमि का बेचान मिन उत्तरदाता अप्रार्थी संख्या 11 के हित में करने के उपरान्त अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 7 को कोई सम्बन्ध उक्त सम्पत्ति से नहीं रह गया था। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का मदहाजा में यह आरोप लगाया जाना की प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 8 से विवादित आराजीयात का तकासमा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाने के लिए कहा हो अथवा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 द्वारा प्रार्थीगण को कोई आश्वासन दिया हो। जब अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 7 द्वारा अपने हक हिस्से की 6/7 भूमि का बेचान अप्रार्थी संख्या 11 को कर दिया था तो उनके द्वारा तकासमा करने का आश्वासन दिये जाने का अथवा अन्य कोई आश्वासन दिये जाने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

जब अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 7 द्वारा अपने हक हिस्से की 6/7 भूमि का बेचान मिन उत्तरदाता अप्रार्थी संख्या 11 को कर दिया था तो दिनांक 31.12.2013 को प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 7 से मिलने, उनके उग्र होने एवं तकासमा करने से इन्कार करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है और ना ही प्रार्थीगण को उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का ही कोई लोकस स्टेण्डाई हासिल है। क्योंकि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 8 के मध्य उक्त खातेदारी की भूमि का अर्सा कदीम पूर्व ही मनबंट के आधार पर

उपखण्ड अधिकारी
चौमू जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

तकासमा हो चुका है एवं सभी हिस्सेदार अपने अपने हक हिस्से की भूमि पर काबिज हो भूमि का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। प्रार्थीगण ने केवल मात्र प्रार्थना पत्र दायर कर अनुचित अनुतोष प्राप्त करने की गरज से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

दिनांक 31.12.2013 को अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 7 के पास जब भूमि के अधिकार ही नहीं थे तो उनके द्वारा प्रार्थीगण को धमकी दिये जाने अथवा बंटवारा करने अथवा नहीं करने की ऐलानिया धमकी दिये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। मिन अप्रार्थी संख्या 11 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 7 से उनके हक हिस्से की 6/7 भूमि को जरिये वैध पंजीबद्ध विक्रय पत्र क्रय किया है एवं मनबंट के आधार पर उनके हिस्से में आई भूमि पर कब्जा भी उनसे प्राप्त किया है एवं वर्तमान में मिन अप्रार्थी संख्या 11 उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार है एवं उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। प्रार्थीगण मिन अप्रार्थी संख्या 11 को जरिये निषेधाज्ञा प्रतिबंधित कराने के कतई अधिकारी नहीं है।

प्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय के समक्ष मिथ्या तथ्यों को उल्लेखित करने हेतु एवं वास्तविक प्रमाणित तथ्यों को छिपाते हुए उक्त प्रार्थना पत्र एवं वाद प्रस्तुत किया है एवं स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष नहीं आया है। निषेधाज्ञा का अनुतोष एक इक्वीटेबल रिलीफ है जो स्वच्छ हाथों से आने वाले पक्षकार को ही न्यायालय प्रदान करती है। ऐसी सूरत में वादी माननीय न्यायालय से निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का वैधानिक अधिकारी नहीं है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि मिन अप्रार्थी संख्या 11 की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र को अभिलेख पर लिया जाकर वादी का प्रार्थना पत्र सरसरी तौर पर ही विशेष हर्जे खर्चे खारिज फरमाये जाने का आदेश प्रदान किया जावें।

बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, दस्तावेजात व बहस का अवलोकन किया गया। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को निस्तारित करते समय विधि द्वारा स्थापित बिन्दुओं पर गौर करना आवश्यक है जो निम्न प्रकार से हैं :–

प्रथम दृष्टता :– प्रकरण में प्रार्थी वादग्रस्त कृषि भूमि का अभिलिखित 200/1600 हिस्से का सहखातेदार काश्तकार हैं ओर अपनी सहखातेदारी की एवं हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहा हैं। यदि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जाता हैं तो अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी कर सींव डोल व सीमा चिन्हो को खुर्द–बुर्द करने की चेष्टा की जा सकती हैं। अतः प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से प्रकरण में प्रथम दृष्टया केस प्रार्थी के पक्ष में व अप्रार्थीगण के विरूद्ध साबित होता हैं।

सुविधा का सन्तुलन :– प्रार्थी वादग्रस्त कृषि भूमि का रिकार्डेड सहखातेदार काश्तकार हैं तथा अप्रार्थीगण द्वारा उसके कब्जे काश्त की सहखातेदारी की कृषि भूमियों के कब्जे काश्त व उपयोग–उपभोग में दखलन्दाजी की जा सकती हैं। ऐसे में अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नही करने एवं सींव डोल, सीमा चिन्हो को खुर्द–बुर्द नही करने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने में सुविधा होगी तथा अप्रार्थीगण को पाबन्द नही किया गया तो प्रार्थीगण को असुविधा उत्पन्न होगी जिससे

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू, जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

पक्षकारो के मध्य मुकदमे बाजी नही होगी ऐसे में. सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के हक में साबित होता हैं।

अपूर्तनीय क्षति :– प्रार्थीगण उक्त भूमि के सहखातेदार काश्तकार हैं तथा अप्रार्थीगण उसके स्वामित्व की सहखातेदारी के कब्जे काश्त की कृषि भूमि के उपयोग– उपभोग में दखलन्दाजी की जा सकती हैं। ऐसे में अप्रार्थीगण को पाबन्द नही किया गया तो प्रार्थी जो रिकार्डेड सहखातेदार काश्तकार, काश्त करने से महरूम हो जावेगा व सींव डोल नष्ट, खुर्द–बुर्द करने पर मुकदमें बाजी में फंसना पडेगा। ऐसे में अप्रार्थीगण को पाबन्द नही किया गया तो प्रार्थीगण को अपनी पृथक खातेदारी भूमि से महरूम होना पडेगा तथा सींव डोल खुर्द–बुर्द कर पक्षकारों में फौजदारी मुकदमें हो जावेगें, ऐसे में प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी भरपाई भविष्य में करना असम्भव होगा।

अतः प्रकरण में प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति के तीनो बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित होने से प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार कर ताफैसला वाद उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि विवादित भूमि आराजी खसरा नम्बर 3099/5 कुल किता 1 का कुल रकबा 0.16 हैक्टेयर वाके ग्राम चौमूं तहसील चौमूं में रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

निर्णय आज दिनांक 18.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियव्रत सिंह चारण)
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner